संख्याः 96 भू0कय/18(1)/2007

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांकः 21 अप्रैल, 2008

विषयः—मै0 आई0टी0सी0 को तहसील हरिद्वार के ग्राम सलेमपुर महदूद—2 में आवासीय कालोनी की स्थापना हेतु कुल 2.0830 है0 भूमि कय करने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या— 843/भूमि व्यवस्था—भूमि कय दिनांक 23 अगस्त, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 आई0टी0सी0 लि0 को आवासीय कालोनी की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15—1—2004 की धारा—154 (4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील हरिद्वार के ग्राम सलेमपुर महदूद द्वितीय परगना रूड़की के गाटा संख्या— 1709 रकबा 0.135 है0 एवं गाटा संख्या— 1710 क्षे0 0.342 है0 कुल दो किते कुल रकबा 0.477 है0, गाटा संख्या— 1705 क्षे0 0.728है0 तथा गाटा संख्या— 1707 रकबा 0.878 है0 अर्थात कुल 2.0830 है0 भूमि जिलाधिकारी द्वारा उक्त पत्र दिनांक 23 अगस्त, 2007 के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः—

1— केता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2— केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3— केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि

.....(2)

के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गयी भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध होगी एवं भूमि का कब्जा प्राप्त होने के दो वर्ष के भीतर योजना का निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा।

7– संस्था आवास विभाग के अन्तर्गत हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत प्रचलित भवन उपविधि/विनियमों के अनुसार ही निर्माण कार्य करायेगी तथा कलस्टर, नेवरहुड व टाउनशिप हेतु निर्गत मार्गनिर्देशिका एवं तत्सम्बन्धी समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

8– संस्था भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने के उपरान्त आवास विभाग के शासनादेशों के कम में प्रोजेक्ट/मानचित्र पर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पृथक से आवेदन करेगी।

9– संस्था महायोजना प्रस्तावानुसार पहुंच मार्ग हेतु भूमि उपलब्ध करायेगी तथा महायोजनानुसार चौड़ा प्रस्तावित मार्ग छोड़ने के उपरान्त महायोजना–2001 में आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत अंकित क्षेत्र में ही आवासीय निर्माण कार्य करायेगी।

10– किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर

....(3)

कब्जा न हो इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

11– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

13– नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/ अनापत्तियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

14– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त करदी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
2– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3– सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, श्रम एंव सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
6– श्री डी0 गणेश, वाईस प्रेजीडेन्ट, आई0टी0सी0 लि0 हरिद्वार।
7– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।